न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 01/2021 GCMS No:- 2021/00078

सरकार जरिये आलोक टांक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री आनन्दी कुमार (विक्रेता)
मैसर्सः– करनानी सोलवेक्स प्रा0 लिमि,
ग्राम गोठडा, पो. जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
निवासी 285, आनन्द सिटी, पालडी मीणा, जयपुर।

2. श्री शिवधनी राम पुत्र श्री हीरालाल (नोमिनी)
मैसर्सः– करनानी सोलवेक्स प्रा0 लिमि,
ग्राम गोठडा, पो. जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
निवासी–लक्ष्मी किराना स्टोर, रेलवे स्टेशन मार्ग,
बस्सी, जयपुर।

3. फर्म–मैसर्सः– करनानी सोलवेक्स प्रा0 लिमि. (जरिये नोमिनी)
ग्राम गोठडा, पो. जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 13/05/2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी दिनांक 03.011.2020 को समय 01.00 पी.एम. बजे मैसर्स करनानी सोलवेक्स प्रा.लिमि. ग्राम गोठडा पो. जटवाडा तहसील बस्सी, जिला जयपुर पर पहुंचे व अपना परिचय दिया। उक्त संस्थान पर श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री आनन्दी कुमार उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को उक्त संस्थान का विक्रेता होना जाहिर किया। मौके पर वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र दिखाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर फर्म में एक टैंक जिसकी भराव क्षमता 13 टन है में 2 टन सरसो तेल भरा हुआ था जो कि पैंकिग कर विक्रय किया जाना था इसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 2 लीटर कच्ची घाणी सरसो तेल (लूज) खरीदकर उसकी कीमत 193/– रूपये विक्रेता श्री अवधेश कुमार को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री विष्णु शर्मा एवं श्री अब्दूल कय्यूम के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अवधेश कुमार ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 की एक प्रति विक्रेता श्री अवधेश कुमार को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 लीटर कच्ची घाणी सरसो तेल (लूज) विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा 2 लीटर कच्ची घाणी सरसो तेल (लूज) को प्रत्येक बोतल में

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक जार पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक AN-2061 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नंबर AN-2061 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये हस्ताक्षर पेपर स्लिप व रैपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की छः प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक जयपुर का पता अंकित किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदे प्राप्त कि है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के पत्र कमांक 483 दिनांक 09.12.2020 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1759/एक्ट/2020/1802 दिनांक 14.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसो तेल (लूज) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र कमांक/एफएसएसए /2021/111 दिनांक 05.04.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टेण्डर्ड फूड कच्ची घाणी सरसो तेल (लूज) का विकय/उत्पादन करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंधन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थीगण की ओर से श्री अरूण गर्ग (अप्रार्थी प्रतिनिधि) उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसो तेल (लूज) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री अरूण गर्ग उपस्थित आये। जिन्होनें अपना जवाब दिनांक 01.12.2021 को प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी प्रतिनिधि निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। प्रार्थी का उत्पाद सबस्टैण्डर्ड राज्य केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित मानक अनुसार सही प्रायी गयी है। हमारी फैक्ट्री में उस वक्त कोई भी पैक्ड तेल नहीं था एवं जब भी तेल की पैकिंग करते है उस समय तेल की वास्तविक गुणवत्ता की जांच करने के बाद ही उसे पैकिंग करके ही विक्रय करते है। सेम्पल रिपोर्ट अनुसार कच्ची घाणी सरसो तेल सरसो पुरानी होने के कारण तेल का कलर हल्का **Blackish brown** आया है। अप्रार्थी के संस्थान में **FSSAI** के द्वारा भी कई बार **inspection** किये जा चुके है एवं हमारा तेल हमेशा **FSSAI** के **standards** के अनुरूप ही पाया गया है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थीगणों के विरूद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंधन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 25,000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/5/22

(दिनेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर